न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 74/2020

उनवान

1. गौरीशंकर प्रजापति उम्र–50 वर्ष पुत्र हनुमान, जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी फ्लेट नं0–2501, 25 वां फ्लोर ओबेरोई एक्सक्वायर बी, आबेरोय गार्डन सिटी गौरेगांव ईस्ट नजदीक एक्सप्रेस हाईवे, मुम्बई सर्बबन महाराष्ट्र हाल निवासी हनुमन्त निवास चिमनपुरा, कॉलेज मोड, नाथावाला, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0
2. कैलाश चन्द प्रजापति उम्र–44 वर्ष पुत्र हनुमान, जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी फ्लेट नं0–3104, 31 वां फ्लोर सी–विंग ओबेरोई एक्सकुसिंह, आबेरोय गार्डन सिटी गौरेगांव ईस्ट मुम्बई महाराष्ट्र हाल निवासी हनुमन्त निवास चिमनपुरा, कॉलेज मोड, नाथावाला, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. कमली देवी पत्नी सुल्तान, जाति गुर्जर, निवासी वार्ड नं0–4 ढाणी चौलाई की–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. गुलाब देवी पत्नी सरदारमल
3. बनारसी देवी पत्नी मदनलाल
जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं0–4 ढाणी चौलाई की–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. जगदीश पुत्र ग्यारसीलाल जाति गुर्जर, निवासी ढाणी लालावाली, चिमनपुरा मोड, नाथावाला, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
5. मूलचन्द पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर, निवासी चिमनपुरा मोड, नाथावाला, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
6. मालीराम पुत्र गोपीराम
7. राजेन्द्रकुमार पुत्र फूलचन्द
8. रामकुंवार पुत्र ग्यारसीलाल
9. रामजीलाल पुत्र फूलचन्द
10. रामसिंह पुत्र फूलचन्द
11. रामावतार पुत्र फूलचन्द
12. सीताराम पुत्र ग्यारसीलाल
13. हजारीलाल पुत्र ग्यारसीलाल
14. हरिसिंह पुत्र फूलचन्द
समस्त व्यस्कान, जाति गुर्जर, निवासी ढाणी लालावली, चिमनपुरा मोड, नाथावाला, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
15. सुरेश पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर, निवासी वार्ड नं0–8, अनाज मण्डी के पास–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
16. उपपंजीयक अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 22/11/2022

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0–959/1314 रकबा 0.12 है0, 961 रकबा 0.26 है0 कुल किता–2 रकबा 0.38 है0 ग्राम नाथावाला, पटवार हल्का नाथावाला, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, स्थित है।
2. यह कि हाल आराजी खसरा नं0–958 रकबा 0.14 है0, 962 रकबा 0.28 है0 कुल किता0–2 रकबा 0.42 है0 ग्राम नाथावाला, पटवार हल्का नाथावाला, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, स्थित है।
3. यह कि वाद पत्र की खण्ड सं0–01 में वर्णित भूमि के 13/76 भाग का वादी सं0–1, 13/76 भाग का वादी सं0–02 व शेष हिस्से के जमाबन्दी में दर्ज अनुसार प्रतिवादीगण सं0–01 लगा0 15 खातेदार काश्तकार है व वादपत्र की खण्ड सं0–02 में वर्णित भूमि के 1/4 का वादी सं0–1, 1/4 भाग का वादी सं0–02 व शेष 1/2 भाग के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण सं0–01 लगा0 14 खातेदार काश्तकार है व अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग व उपभोग करते आ रहे है व अपने अपने हिस्से के अनुसार लगान अदा करते हैं।
4. यह कि वादीगण ने हाल आराजी खसरा नं0–958 के उत्तरी तरफ करीब 300 मीटर में अपना पुख्ता मकान व हाल खसरा नं0–959/1314 में उत्तरी तरफ चार पुख्ता कमरे ताहरत व स्नानघर बना रखे है व अपने हिस्से की भूमि के चारों तरफ दीवार लगाकर अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर उपयोग

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपभोग करते आ रहे हैं जिससे प्रतिवादीगण या अन्य किसी का किसीप्रकार का कोई संबंध अधिकार व कब्जा नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में है।

5. यह कि वादपत्र की खण्ड संख्या 01 व 02 में वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0–01 लगा0 15 की वादपत्र की खण्ड सं0–03 में वर्णित हिस्सों अनुसार सम्मिलित खातेदारी की है जिसको आपसी मनबट से पृथक पृथक व सम्मिलित में काबिज रहकर उपयोग करते आ रहे है जिसका आज तक कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है।

6. यह कि प्रतिवादीगण आपस में मिले हुए है व वादीगण के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है और अनावश्यक रूप से विवाद करते हैं वादीगण ने प्रतिवादीगण सं0–01 लगा0 15 से अपने अपने हिस्सों के अनुसार कानूनी बंटवारा हेतु अर्सा 3 रोज पूर्व कहा तो उससे इंकार हो गए जिसके फलस्वरूप वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया।

7. यह कि वादपत्र की खण्ड सं0–01 में वर्णित भूमि के 13276 भाग का वादी सं0–01 व 13/76 भाग का वादी सं0–02 व खण्ड सं0–2 में वर्णित भूमि के 1/4 भाग का वादी सं0–1 व 1/4 भाग का वादी सं0–2 खातेदार काश्तकार है अपने हिस्से की भूमि का कानूनी बंटवारा करवाना व उसका पृथक से राज लगान निर्धारण करवाना चाहता है जिसके लिये वाद पत्र पेश है।

8. यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे वादीगण को उनके हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करने व सह खातेदारी भूमि का बिना कानूनी बंटवारा कराये भूमि के विशिष्ट भू–भाग को अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन विक्रय स्थानान्तरण करने व उसका स्थानान्तरण डीड प्रतिवादी सं0–16 के कार्यालय में पंजीकरण करवाकर प्रतिवादी सं0–17 से राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाने व दीगर व्यक्ति को कब्जा करवाने व निर्माण कार्य करने में सफल हो जावेंगे जिससे वादीगण को अकथनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में नहीं की जा सकेगी।

9. इस वाद के विवाद का कारण वादपत्र की खण्ड सं0–1 व 2 में वर्णित भूमि ग्राम नाथावाला, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित होने व जिसके खण्ड सं0–3 में वर्णित हिस्सो अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने व भूमि सहखातेदारी की होने खण्ड सं0–4 में वर्णित हिस्सों के अनुसार वादीगण खातेदार द्वारा अपने कमरे व अन्य निर्माण कर चारो तरफ दीवार लगाकर काबिज रहकर उपयोग उपभोग करने खण्ड सं0–05 में वर्णित अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0–01 लगा0 15 के मध्य सम्मिलित खातेदारी भूमि का आज तक कोई कानूनी बंटवारा नहीं होने व खण्ड सं0–6 मे वर्णित अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने व बंटवारा कराने से इंकार होने व खण्ड सं0–07 में वर्णित अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा वादी अपने हिस्से का कानूनी बंटवारा करवाकर उसका राज लगान निर्धारित करवाने का अधिकारी होने के फलस्वरूप उत्पन्न होकर अन्दर अवधि पेश है

10. उभय पक्ष के व्यक्ति न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में निवास करते हैं प्रश्नगत भूमि न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार ग्राम नाथावाला, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर मे स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान को इस वाद को सुनने का अधिकार प्राप्त है।

11. प्रतिवादी सं0 16 व 17 अन्य प्रतिवादीगण के नाजायज व राजनैतिक प्रभाव में बिना कानूनी बंटवारा करवाये उन द्वारा प्रस्तुत आराजी के विशिष्ट भू–भाग का स्थानान्तरण डीड व पंजीकरण करने व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने को तत्पर होने से पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया गया है।

12. प्रतिवादीगण सं0 16, 17 लोक सेवक व राज्य सरकार (भूमिधारी) पक्षकार है, लोक सेवक व राज्य सरकार के विरूद्ध वाद दायरी से पूर्व धारा–80 सीपीसी के तहत नोटिस जारी दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से धारा–80(2) सीपीसी के अन्तर्गत पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बाद अनुमति वादपत्र प्रस्तुत है।

13. दावा हाजा पर निर्धारित न्यायालय शुल्क बाबत बंटवारा आराजी व लगान एक रूपया व बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एक रूपये कुल दो रूपये न्यायालय शुल्क पर पेश है।

14. वादीगण प्रार्थीगण है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विपक्ष में एक डिक्री बाबत् बंटवारा आराजी व लगान व स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की प्रदान करे कि हाल आराजी खसरा नं0–959/1314/0.12 है0, 961/0.26 है0 कुल किता–2 रकबा 0.38 है0 ग्राम नाथावाला,, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर के वादी सं0–1 के 13/76, वादी सं0–02 के 13/76 भाग का व हाल आराजी खसरा नं0–958/0.14, 962/0.28 है0 कुल किता–2 रकबा 0.42 है0 ग्राम नाथावाला, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर के वादी सं0–01 के 1/4 भाग व वादी सं0–2 के 1/4 भाग का नियमानुसार कानूनी बंटवारा किया जाकर वादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि वादीगण के बंटवारे में दी जाकर उसका पृथक से राज लगान निर्धारित किया जावे व जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में करवाया जाकर वादीगण के नाम पृथक से खातेदारी दर्ज की जावे। वाद बंटवारा वादीगण के हिस्से बंटवारे कब्जे में जो भूमि आवे उसके संबंध में प्रतिवादीगण उनके नौकर, प्रतिनिधि, एजेण्ट व स्थानापन्नों आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सदैव के लिये पाबंद फरमाया जावे कि वादी के हिस्से व बंटवारे की भूमि पर वादीगण के कब्जे व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत पैदा नहीं करे बल्कि वादीगण को शांतिपूर्वक काबिज रहकर उपयोग उपभोग करने दे व प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि या इसके किसी विशिष्ट भू–भाग को बिना कानूनी बंटवारा करावाये अन्य दीगर को रहन विक्रय स्थानान्तरण नहीं करे न किसी स्थानान्तरण डीड को पंजीकरण करवाये न राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाये न किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करवाये व मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व वादीगण को प्रतिवादीगण से हर्जा खर्चा दिलवाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज जिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी की गई।प्रतिवादीगण जिस्ट्रड डाक से तलबी के आदेश किये जाने पर भी प्रतिवादीगण के द्वारा प्रकरण मे उपस्थित नहीं होने र दिनांक 23.9.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्राथमिक डिकी किया जाकर हसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/ 4100 दिनांक 10.11.2022 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गई । वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । वकील वादी ने मुतांबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के दावा अन्तिम डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया । हमने बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया । तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु विधिवत पक्षकारान को नोटिस जारी किया गया है । कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन करने पर बंटवारा रिपोर्ट सही होने से दावा अन्तिम डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार दावा अंतिम डिकी किया जाता है कि खसरा नं0–959/1314 रकबा 0.12 है0, 961 रकबा 0.26 है0 कुल किता–2 रकबा 0.38 है0 एवं खसरा नं0–958 रकबा 0.14 है0, 962 रकबा 0.28 है0 कुल किता0–2 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम नाथावाला, पटवार हल्का नाथावाला, तह0शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. कैलाश पुत्र हनुमान हि0 1/2, गौरीशंकर पुत्र हनुमान हि0 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 अमरपुरा खातेदार आराजी ख0नं0 958/2 रकबा 0.1084 है0, ख0नं0 961/2 रकबा 0.0126 है0, ख0नं0 962/2 रकबा 0.2190 है0 कुल किता 3 रकबा 0.3400 है0 हिस्से में रहेगी।

2.मूलचन्द पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर सा0 शाहपुरा खातेदार आराजी ख0नं0 958/3 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 962/3 रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 रकबा 0.0800है0 हिस्से में रहेगी।

3. कमलीदेवी पत्नि सुल्तान ि0 75/3800 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा शाहपुरा , गुलाबदेवी पत्नि सरदारमल हि0 150/3800, जगदीश पुत्र ग्यारसीलाल हि0 38/3800, राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा शाहपुरा बनारसी देवी पत्नि मदनलाल हि0 75/3800 रहिन यूनियन बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा शाहपुरा ,मूलचन्द पुत्र भागीरथ हि0 750/3800, मालीराम पुत्र गोपीराप हि0 1000/3800, राजेन्द्रकुमार पुत्र फूलचन्द हि0 200/3800, रामकुंवार पुत्र ग्यारसीलाल हि0 37/3800 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा शाहपुरा,रामजीलाल पुत्र फूलचन्द हि0 200/3800, रामसिंह पुत्र फूलचन्द हि0 200/3800, रामावतार पुत्र फूलचन्द हि0 200/3800, सीताराम पुत्र ग्यारसीलाल हि0 38/3800 रहिन यूनियन बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा शाहपुरा,हजारीलाल पुत्र ग्यारसीलाल हि0 37/3800 रहिन यूनियन बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा शाहपुरा,हरिसिंह पुत्र फूलचन्द हि0 200/3800, सुरेश पुत्र भंवरलाल हि0 600/3800 जाति गुर्जर सा0 शाहपुरा खातेदार के खसरा नम्बर 959/1314 रकबा 0.12 है0, 958/1 रकबा 0.0116 है0, ख0नं0 961/1 रकबा 0.2474 है0 ख0नं0 962/1 रकबा 0.0010 है0 हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/11/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जयपुर राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 74/2020

उनवान

1 गौरीशंकर प्रजापति उम्र–50 वर्ष पुत्र हनुमान, जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी फ्लेट नं0–2501, 25 वां फ्लोर ओबेरोई एक्सक्वायर बी, आबेरोय गार्डन सिटी गौरेगांव ईस्ट नजदीक एक्सप्रेस हाईवे, मुम्बई सर्बबन महाराष्ट्र हाल निवासी हनुमन्त निवास चिमनपुरा, कॉलेज मोड, नाथावाला, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0

2 कैलाश चन्द प्रजापति उम्र–44 वर्ष पुत्र हनुमान, जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी फ्लेट नं0–3104, 31 वां फ्लोर सी–विंग ओबेरोई एक्सकुसिंह, आबेरोय गार्डन सिटी गौरेगांव ईस्ट मुम्बई महाराष्ट्र हाल निवासी हनुमन्त निवास चिमनपुरा, कॉलेज मोड, नाथावाला, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. कमली देवी पत्नी सुल्तान, जाति गुर्जर, निवासी वार्ड नं0–4 ढाणी चौलाई की–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. गुलाब देवी पत्नी सरदारमल
3. बनारसी देवी पत्नी मदनलाल
   जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं0–4 ढाणी चौलाई की–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. जगदीश पुत्र ग्यारसीलाल जाति गुर्जर, निवासी ढाणी लालावाली, चिमनपुरा मोड, नाथावाला, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
5. मूलचन्द पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर, निवासी चिमनपुरा मोड, नाथावाला, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
6. मालीराम पुत्र गोपीराम
7. राजेन्द्रकुमार पुत्र फूलचन्द
8. रामकुंवार पुत्र ग्यारसीलाल
9. रामजीलाल पुत्र फूलचन्द
10. रामसिंह पुत्र फूलचन्द
11. रामावतार पुत्र फूलचन्द
12. सीताराम पुत्र ग्यारसीलाल
13. हजारीलाल पुत्र ग्यारसीलाल
14. हरिसिंह पुत्र फूलचन्द
    समस्त व्यस्कान, जाति गुर्जर, निवासी ढाणी लालावली, चिमनपुरा मोड, नाथावाला, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
15. सुरेश पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर, निवासी वार्ड नं0–8, अनाज मण्डी के पास–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
16. उपपंजीयक अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 22/11/2022

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार दावा अंतिम डिकी किया जाता है कि ासरा नं0–959/1314 रकबा 0.12 है0,. 961 रकबा 0.26 है0 कुल किता–2 रकबा 0.38 है0 एवं खसरा नं0–958 रकबा 0.14 है0, 962 रकबा 0.28 है0 कुल किता0–2 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम नाथावाला, पटवार हल्का नाथावाला, तह0शाहपुराजिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. कैलाश पुत्र हनुमान हि0 1/2, गौरीशंकर पुत्र हनुमान हि0 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 अमरपुरा खातेदार आराजी ख0नं0 958/2 रकबा 0.1084 है0, ख0नं0 961/2 रकबा 0.0126 है0, ख0नं0 962/2 रकबा 0.2190 है0 कुल किता 3 रकबा 0.3400 है0 हिस्से में रहेगी।

2. मूलचन्द पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर सा0 शाहपुरा खातेदार आराजी ख0नं0 958/3 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 962/3 रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 रकबा 0.0800है0 हिस्से में रहेगी।

3. कमलीदेवी पत्नि सुल्तान ि0 75/3800 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा शाहपुरा , गुलाबदेवी पत्नि सरदारमल हि0 150/3800, जगदीश पुत्र ग्यारसीलाल हि0 38/3800, राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा शाहपुरा बनारसी देवी पत्नि मदनलाल हि0 75/3800 रहिन यूनियन बैंक ऑफ इंण्डिया

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

शाखा शाहपुरा ,मूलचन्द पुत्र भागीरथ हि0 750/3800, मालीराम पुत्र गोपीराप हि0 1000/3800, राजेन्द्रकुमार पुत्र फूलचन्द हि0 200/3800, रामकुंवार पुत्र ग्यारसीलाल हि0 37/3800 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा शाहपुरा,रामजीलाल पुत्र फूलचन्द हि0 200/3800, रामसिंह पुत्र फूलचन्द हि0 200/3800, रामावतार पुत्र फूलचन्द हि0 200/3800, सीताराम पुत्र ग्यारसीलाल हि0 38/3800 रहिन यूनियन बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा शाहपुरा,हजारीलाल पुत्र ग्यारसीलाल हि0 37/3800 रहिन यूनियन बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा शाहपुरा,हरिसिंह पुत्र फूलचन्द हि0 200/3800, सुरेश पुत्र भंवरलाल हि0 600/3800 जाति गुर्जर सा0 शाहपुरा खातेदार के खसरा नम्बर 959/1314 रकबा 0.12 है0, 958/1 रकबा 0.0116 है0, ख0नं0 961/1 रकबा 0.2474 है0 ख0नं0 962/1 रकबा 0.0010 है0 हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदांनुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें।

निर्णय आज तारीख 22/11/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल		जोड़	
जोड़			

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जयपुर, राजस्थान